डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अगस्त, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 अगस्त, 2020

| वर्ष 64 | अंक 06 | भोपाल | 16 अगस्त, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

प्रधानमंत्री ने की लटेरी के कृषक से बातचीत

पीएम किसान और एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड पर वेबकास्ट संपन्न

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विदिशा जिले के लटेरी के कृषक श्री मुकेश शर्मा से बातचीत की। प्रधानमंत्री, रिलीज ऑफ बेनिफिट अंडर पीएम किसान एंड लांच ऑफ फांयनेशियल फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड कार्यक्रम के अवसर पर वेबकास्ट द्वारा देश के कृषक संघों से चर्चा कर रहे थे। कृषक श्री शर्मा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लटेरी जिला विदिशा के सचिव हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 8 करोड़ 55 लाख किसानों के खातों में 17 हजार एक सौ करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए गये। इसके साथ ही फायनेन्शियल फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत चार साल के लिए एक लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश सहित कर्नाटक तथा गुजरात के कृषक संघों से भी बातचीत की।

मुख्यमंत्री ने इस पहल को किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। लॉकडाउन में किसानों को लाभान्वित करने, आत्मनिर्भर बनाने व किसान बन्धुओं की आय दोगुनी करने की दिशा में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भी वेबकास्ट में भाग लिया।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं

प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत सहकारी समितियों को वित्त–पोषण सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे समितियाँ बहुउद्देशीय गतिविधियाँ संचालित कर सकेंगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कृषि मंत्री श्री पटेल ने सौ करोड़ रुपये का सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सौंपा

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित एक समारोह में नाबार्ड की ओर से मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के एमडी श्री प्रदीप नीखरा को सौ करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि इस राशि से 351 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित किया जाएगा।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई इस राशि से समितियों द्वारा कृषकों को भंडारण, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और अन्य कृषि सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। इसके अलावा ई–मंडियों की सुविधा भी लोगों को मिल सकेगी। उक्त राशि एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत प्रदान की जा रही है।

इस अवसर पर नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक सुश्री टीएसजी गेन, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, आयुक्त सहकारिता श्री आशीष सक्सेना, महाप्रबंधक श्री दुष्यंत सिंह चौहान, श्री वाईएन महादेविया और श्री एमआई खान भी उपस्थित रहे।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएँ (पैक्स) होगी बहु-सेवा केन्द्रों में परिवर्तित

प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाऐं (पैक्स) आधार स्तरीय सहकारी संस्थाएं हैं जो किसानों की प्राथमिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती हैं. पैक्स को बहु–सेवा केन्द्रों में परिवर्तित करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है ताकि वे अपने व्यापार में विविधता ला सके और एक छत के नीचे अपने सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी कर सके. पैक्स की कायापलट करने की दृष्टि से नाबार्ड ने कई पहल की हैं और उनमें से एक वर्ष 2011 से पैक्स से एमएससी कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं जिसमें उन्हें सीधे और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर संस्था बन सके.

इस योजना के सकारात्मक परिणाम और पैक्स के सदस्यों को इससे हुए लाभ तथ इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी बाधाओं का अध्ययन किया गया और परिचालनात्मक प्रक्रिया निवेश के दायरे और पुनर्वित्त की शर्तो में अब संशोधन किए गए हैं. भारत सरकार द्वारा हाल ही में एपीएमसी अधिनियम, ठेका खेती अधिनियम में किए गए संशोधन और कोविड़ 19 के कारण शहरों से श्रमिकों की वापसी से पैक्स को बहुसेवी केन्द्रों में बदलने की आवश्यकता बढ़ी है जिससे कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके. साथ ही, विकेन्द्रीकृत फार्म गेट फसलोंपरांत प्रबंधन आधारभूत व्यवस्थाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अधीन प्रस्तावित कृषि आधारभूत निधि में ब्याज सहायता के लिए पैक्स को पात्र संस्था के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण कृषि बाजार (ग्रैम्स) की सहायक के रूप में पण्य वस्तुओं की भौतिक और वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला हेतु पैक्स प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं. फसलोपरांत आधारभूत व्यवस्थाओं के निर्माण में निवेश से किसान फसलोपरांत हानियों को कम कर सकती हैं, और अपने उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं.

इस संदर्भ में सभी अच्छी कार्यरत पैक्स को वर्ष 2020–21 से आगे तीन वर्षो की अवधि के दौरान बहुसेवी केन्द्रों में परिवर्तित करने राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से 3 प्रतिशत की दर से विशेष दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया है। नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता का लक्ष्य सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप पैक्स को अच्छी गुणवत्ता वाली आधारभूत सुविधाएं (पूंजीगत आस्तियां) उपलब्ध कराना हैं.

(शेष पृष्ठ 4 पर)

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश को नंबर वन रहता है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 एवं 2 संबंधी बैठक ली

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को नंबर वन रहना है। अभी प्रदेश में इस कार्य की गति धीमी है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को एमएसएमई क्षेत्र में इसके अंतर्गत 21 हजार करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, वहीं मध्य प्रदेश को अभी तक लगभग 2 हजार करोड़ रुपए ही मिले हैं। संबंधित विभाग बैंकों के साथ नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर कार्य में गति लाएं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान चिरायु अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 01 एवं 02 के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीसी में एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे।

अन्य राज्यों की प्रगति की समीक्षा करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एमएसएमई क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके हमारे राज्य में इसकी गति धीमी क्यों है।

अनावश्यक स्टांप ड्यूटी न देनी पड़े

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई प्रकरणों में अनावश्यक स्टांप ड्यूटी लिए जाने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में विभाग यह सुनिश्चित करें कि हितग्राही को अनावश्यक स्टांप ड्यूटी न देनी पड़े।

केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आ रही है अथवा यदि कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो इसके लिए उनकी ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री को तुरंत पत्र लिखा जाए।

अब 200 करोड़ तक के लोन के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित पैकेज के अंतर्गत अब यह प्रावधान किया गया है कि एमएसएमई को 200 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए अब ग्लोबल टेंडर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए आगे एक सप्ताह के अंदर इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।

45 दिन के अंदर ऋण का भुगतान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई उद्योग को स्वीकृत ऋण का भुगतान बैंकों द्वारा 45 दिन के अंदर किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि कुछ प्रकरण बैंकों में 45 दिन से अधिक समय से लंबित है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए को 45 दिन के अंदर ऋण की राशि का भुगतान हो जाए।

मुद्रा शिशु लोन अनुदान

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई को मुद्रा शिशु लोन अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि अभी इसमें प्रगति बहुत कम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव श्री बैंस को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में परीक्षण करें कि ऐसा क्यों है।

बैंकों का पूर्ण सहयोग आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि एमएसएमई क्षेत्र को नियत समयावधि में प्रावधानों के अनुसार बैंकों की ओर से ऋण प्राप्त हो जाए यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बैंकों की नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो। बैंकों के पूर्ण सहयोग से ही इस कार्य में वांछित प्रगति आ सकती है

पांच अगस्त को ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रारंभ होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश में सबसे पहले कार्य किए जाने पर बैंकर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़े कस्बों एवं ग्रामों के समूहों में भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ग्रामीण स्टेट बैंक स्ट्रीट वेंडर योजना चालू की गई है, जिसके अंतर्गत उन्हें 10 हजार रूपये का ऋण दिया जाएगा। इसकी गारंटी सरकार देगी तथा ब्याज भी सरकार भरेगी। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख पथ विक्रेताओं का पंजीयन किया जा चुका है। यह गरीबों के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास बैंकर्स के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमे डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ– स्वामी विवेकानंद

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रधानमंत्री ने की लटेरी के कृषक से बातचीत.....

इससे कृषक और कृषि की स्थिति में बदलाव आएगा। कृषि में वैल्यू एडिशन करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। श्री पटेल ने कहा कि लटेरी ने न केवल विदिशा बल्कि मध्यप्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि देश के 3 राज्यों में मध्यप्रदेश भी शामिल है। उन्होंने प्राथमिक सहकारी साख संस्था लटेरी के सचिव श्री मुकेश शर्मा, कृषक श्रीमती मुन्नी बाई कुशवाह, श्री रामेश्वर चौरसिया, श्री माधव लाल शर्मा, श्री भगवत सिंह धाकड़ और विदिशा के जिला सहकारी बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

कृषकों को रासायनिक खाद और कीटनाशक के कम उपयोग का संदेश

वेबकास्ट पर चर्चा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषक श्री शर्मा से कहा कि वे अपने साथियों को रासायनिक खाद और कीटनाशक का कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। इससे जमीन का स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलेगी। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी समिति में 1125 किसान जुड़े हैं। यह समिति फसल बीमा, किसानों को खाद–बीज उपलब्ध कराने, कृषि उत्पाद के क्रय कार्य में निरंतर सक्रिय है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क व सेनेटाइजर के उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए भी समिति सदस्यों को लगातार प्रेरित करती है। श्री शर्मा ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू पाबंदियों के बीच किसानों को उपज परिवहन के लिए दी गई छूट और मंडियों में की गई व्यवस्थाओं के लिए राज्य शासन का आभार माना। प्रधानमंत्री द्वारा भविष्य की योजनाओं के संबंध में पूछने पर श्री शर्मा ने कहा कि पांच हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण, ग्रेडिंग और ई–मंडी की सुविधा विकसित करने की योजना है।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे वेतन की 30 प्रतिशत राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हान पर सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कोरोना संक्रमण के समुचित प्रबंधन के लिये अपने वेतन–भत्तों की 30 प्रतिशत राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिये जाने की सहमति दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिये मंत्रियों सुझाव भी लिये गये। सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कोरोना नियंत्रण के लिये अपने सुझाव दिये।

आम आदमी की जिन्दगी सरल बनाना ही सुशासन

मध्यप्रदेश ईज ऑफ लाइफ को बेहतर ढंग से लागू करेगा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम आदमी की जिन्दगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, यही सुशासन है और इसे लागू करने के लिए मध्यप्रदेश में जो पूर्व में कार्य हुआ है, उसे तकनीकी सहयोग से अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी कहा है कि कोविड–19 एक चुनौती है जिसे अवसर में बदलने की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश में इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि कार्यों को पेपरलैस बनाकर गवर्नेन्स का लाभ आमजन को दिया जाए। मध्यप्रदेश इस दिशा में पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्यादा अच्छे परिणाम देने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुड–गवर्नेन्स से ई–गवर्नेन्स और अब हम एम–गवर्नेन्स की ओर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप तैयार करने की दृष्टि से श्रृंखलावद्ध हो रहे वेबीनार के दूसरे दिन सुशासन पर केन्द्रित विचार–विमर्श का शुभारंभ करते हुए संबोधित कर रहे थे।

आम आदमी के लिए ईज ऑफ लाइफ सरकार का ध्येय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आम आदमी के लिए ईज ऑफ लाइफ सरकार का ध्येय रहेगा। इन प्रयासों को बेहतर ढंग से करते हुए प्रदेश के नागरिकों के जीवन में संतुष्टि और जीवन के आनंद का स्तर बढ़ाने का कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जो चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने वाले अद्भुत नेता हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिलवाया है। मध्यप्रदेश इसके अनुरूप आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण कर दिखायेगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का दस्तावेज तैयार करने के लिए ऐसे विचार जो जमीन पर उतर सकते हैं, उन्हें अमल में लाया जाएगा। इस वेबीनार में मिले सुझाव आम जनता के कल्याण की दृष्टि से उपयोगी होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधन, आदर्श भौगोलिक स्थिति, अच्छा उत्पादन, वनोपज, कला, संस्कृति, पर्यटन, हाथकरघा, सांस्कृतिक परम्पराएं विद्यमान हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। लेकिन बिना सुशासन के इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने पुराने कार्यकाल में अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा किया। अधूरे बांधों का निर्माण किया गया। इसके फलस्वरूप सिंचाई क्षमता सात लाख हेक्टेयर से बढ़कर चालीस लाख हेक्टेयर को पार कर गई।

मध्यप्रदेश में सुशासन के लिए उठाये गये हैं ठोस कदम

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में पूर्व वर्षों में उनके कार्यकाल में लोकोन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसके लिए समाधान ऑनलाइन, जनदर्शन, वन–डे गवर्नेन्स, पब्लिक सर्विस गारंटी कानून बनाकर आमजन को त्वरित समाधान उपलब्ध करवाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे पुरस्कृत किया। इसके अलावा सिटीजन चार्टर में सेवाओं के समय पर न दिए जाने के दोषी लोगों को दण्डित करने का कार्य भी किया गया। इस व्यवस्था का अन्य राज्यों ने भिन्न–भिन्न नामों से अनुसरण किया। यही नहीं सीएम हेल्पलाइन और सीएम मॉनिट की प्रभावी व्यवस्था लागू की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उम्मीद व्यक्त की कि इस वेबीनार में भिन्न समूह इन प्रयासों की चर्चा करेंगे।

कार्य की समाधान प्रक्रिया में व्यक्ति बाधा न बने, सिंगल सिटीजन डाटाबेस शीघ्र

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सुशासन के अंतर्गत पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक है। कई नियम बदले भी गए हैं। इसका उद्देश्य प्रामाणिकता के साथ लोक सेवाओं का प्रदाय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नियम, कानून आमजन के लिए होते हैं। आमजन नियम, कानून के लिए नहीं है। यदि किसी कार्य या समाधान प्रक्रिया में कोई व्यक्ति बाधा बनता है, तो यह अनुचित है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से इंसान बहुत से सरकारी कार्यों के बीच में नहीं आता। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किए गए नवाचार लोगों के लिए राहत का माध्यम बने हैं। शीघ्र ही सिंगल सिटीजन डाटाबेस के अंतर्गत एक ही स्थान पर, एक ही पोर्टल के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य आसानी से हो सकेगा। इसके लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है।

त्रैमासिक बजट व्यवस्था और लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सुशासन के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग के लक्ष्य निर्धारित हों। हर तिमाही में बजट का सदुपयोग होता रहे। यह न हो कि राशि वर्षान्त में ही खर्च हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कान्त द्वारा वेबीनार में मध्यप्रदेश के लिए सुझाए गए डैश बोर्ड के अनुरूप पूर्व में मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया, जिसका लाभ प्रदेश को मिला। कुछ घंटों में होने वाले कार्य महीनों नहीं टाले जा सकते। मध्यप्रदेश में काम टालकर योजनाओं को कागज ही पर ही रखने की प्रवृत्ति नहीं चलने दी जाएगी। एक नई कार्यशैली से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा।

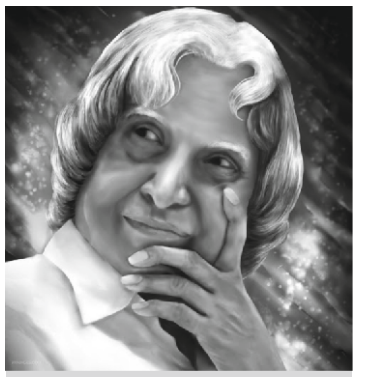

असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए।

– अब्दुल कलाम

मंत्रि–परिषद के निर्णय

मू-अभिलेखों की डिजिटाइजेशन परियोजना के लिये 59 करोड़ 89 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश में मंत्रि–परिषद की दूसरी वर्चुअल बैठक हुई। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई मंत्रि–परिषद की बैठक में मंत्रीगण ने विभिन्न स्थानों से भागीदारी की।

मंत्रि–परिषद ने भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम के तहत मध्यप्रदेश में भू–अभिलेखों का डिजिटाइजेशन परियोजना क्रियान्वयन के लिए परियोजना की अनुमानित राशि 59 करोड़ 89 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया। डिजिटाइजेशन के लिये उपलब्ध राशि 25 करोड़ 80 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय की शेष राशि 34 करोड़ 9 लाख रूपये के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग के द्वारा संचालित ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना में उपलब्ध राशि में से अधिकतम 15 करोड़ रूपये का उपयोग किया जायेगा।

डीआईएलआरएमपी परियोजना के तहत मध्यप्रदेश भू–अभिलेख प्रबंधन समिति के बैंक खाते में राज्यांश की कुल राशि से प्राप्त ब्याज की राशि लगभग 8 करोड़ रूपये का उपयोग किया जायेगा। डीआईएलआरएमपी परियोजना के तहत केन्द्रांश की कुल राशि से प्राप्त ब्याज की राशि लगभग 11 करोड़ 9 लाख रूपये को भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर उपयोग किया जायेगा अथवा उपयोग की अनुमति प्राप्त नहीं होने पर उक्त राशि का बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022–23 में 5 करोड़ 50 लाख रूपये तथा वर्ष 2023–24 में 5 करोड़ 50 लाख रूपये शामिल कराया जाकर व्यय का भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

रोजगार सेतु पोर्टल से जारी है मजदूरों को रोजगार मिलना

कौशल एवं दक्षतानुसार 38,906 श्रमिक जुड़े रोजगार से

भोपाल। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर उनकी कुशलता एवं दक्षता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये रोजगार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया। पोर्टल पर सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन कर ऐसे नियोक्ताओं का भी पंजीयन किया गया जिन्हें काम के लिये मजदूरों की तलाश थी। मध्यप्रदेश में कारगर हुई रोजगार सेतु पोर्टल योजना में 7 लाख 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों और 31 हजार 733 नियोक्ताओं का पंजीयन हो चुका है। रोजगार सेतु के माध्यम से 38 हजार 906 प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षतानुसार विभिन्न प्रायवेट नियोक्ताओं की संस्थाओं में रोजगार मिला है। मनरेगा के कार्यों में एक लाख 94 हजार 75 प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तीन लाख 58 हजार 956 ऐसे प्रवासी मजदूरों के मनरेगा अन्तर्गत जॉब कार्ड भी बनाये गये, जिनके अभी तक जॉब कार्ड नहीं थे। इनमें ऐसे श्रमिक भी शामिल हैं, जो मध्यप्रदेश के न होकर अन्य राज्यों के हैं।

गरीबों के लिये हर स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाने वाली संबल योजना के पोर्टल पर तीन लाख 24 हजार 715 व्यक्तियों का पंजीयन, बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर 16 हजार 496 का पंजीयन हो चुका है। श्रमिकों की स्किल मैपिंग में 7 लाख 20 हजार 997 श्रमिकों की उनके कौशल अनुसार मैपिंग का कार्य किया गया है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएँ (पैक्स) होगी बहु-सेवा केन्द्रों में परिवर्तित...

यह पुनर्वित्त सहायता पूर्व स्वीकृति प्रक्रिया के अधीन 'प्रायोगिक आधार पर' होगी जिसमें पैक्स और ऋणदाता बैंकों को नाबार्ड से पूर्व अनुमोदन हेतु परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करनी होगी. तथापि पैक्स स्तर पर नियमित मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी आवश्यकता संबंधी नियमित ऋणों के लिए ऋण की सामान्य सुविधाओं संबंधी नाबार्ड के दिशानिर्देश लागू होंगे.

नाबार्ड ने इसे अत्यधिक प्राथमिकता दी है, इस योजना का व्यापक प्रचार हो, ताकि आय बढ़ाने और सदस्यों के फार्मगेट मूल्य संवर्धन हेतु बेहतर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में पैक्स सक्रिय भूमिका निभा सके साथ ही पैक्स की पहचान में परियोजना चक्र तैयार करने/उनकी व्यापार योजनाएं और आधारभूत सुविधाएं, व्यापक परियोजना तैयार करने, समयबद्ध कार्यान्वयन, आस्तियों की भौगोलिक पहचान (जियो आइडेंटिफिकेशन) और इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रणाली तैयार करने के लिए नैब परिक्षण ऐप आधारित अनुप्रवर्तन प्रणाली और पुनरीक्षण प्रणाली आदि तैयार करना आवश्यक है. बहु–सेवा केन्द्रों के रूप में कार्यरत पैक्स के अनुभव साझा करने के लिए सफलता गाथाओं और यूट्यूब क्लिप्स का उपयोग भी किया जाए।

योजना का स्वरूप

उद्देश्य

पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को आधार स्तर एक सदस्य आधारित मजबूत व्यावसायिक संस्था के रूप में स्थापित करना है जिसके माध्यम से वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जा सकें और इस प्रकार पारस्परिक लाभ बढ़े. कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों और हाल के सुधारों के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुदृढ़ और आधुनिक व्यावसायिक संस्था के निर्माण के लिए अवसर प्रदान करना है. इसका लक्ष्य देश के 35000 पैक्स को आगामी तीन वर्षो में चरणबद्ध रूप से परिवर्तित करना हैं.

पुनर्वित्त की मंजूरी

आगामी वर्षों में सेवा लागत से आय प्राप्त करने के उद्देश्य से पैक्स द्वारा पूंजीकृत आस्तियों के रूप में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंजूर ऋण के समक्ष रास बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा. इसके लिए पैक्स विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे मूल्यांकन तथा ऋण मंजूरी के लिए सीसीबी/रास बैंक को प्रस्तुत करेंगे. इसके बाद रास बैंक सीसीबी द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले पैक्स की एकल परियोजनाओं को पिछले तीन वर्षो की उनकी लेखापरीक्षित तुलन पत्र सहित मंजूरी के लिए नाबार्ड को अनुशंसित करेगा. यदि रास बैंक पैक्स द्वारा किसी संभाव्यता वाले क्षेत्र में किसी विशेष निवेश गतिविधि को बढ़ावा देना चाहता है, तो रास बैंक को जिला वार योजना तैयार करके पैक्स के स्तर पर परियोजना लागत और वित्तपोषित किऐ जाने वाली पैक्स का ब्यौरा देते हुए मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना होगा. जिले वार और पैक्स–वार भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को इंगित करते हुए परियोजना मंजूरी की जाएगी.

रास बैंक/सीसीबी ओर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रस्ताव का उधारकर्ता–वार, तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करेंगे. इस प्रस्ताव के अनुसार योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाते हुए रास बैंक को पुनर्वित्त संवितरित किया जाएगा और इसे आगे पैक्स को ऋण देने हेतु सीसीबी को दिया जाएगा. पुनर्वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा आवंटित बजट से रास बैंकों को पुनर्वित्त मंजूर किया जाएगा।

इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए रास बैंक, सीसीबी और नाबार्ड के अधिकारियों की एक टीम पवित्तन के लिए संभावित पैक्स की पहचान करेगी और इनकी व्यवहार्यता सदस्यों की आवश्यकता और अपेक्षा, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी उपयोगिता के आकलन के लिए चयनित पैकस के साथ विचार–विमर्श करेगी और पूंजी की व्यवस्था और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कदम उठाएगी.

पात्र गतिविधियां

इसके तहत निम्नलिखित गतिविधियां पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं

कृषि– भंडारण केन्द्र वर्तमान भंडारण सुविधा के उन्नयन या डबल्यूडीआरए के दिशानिर्देशों के अनुसार सॉर्टिंग/ग्रेडिंग इकाई के साथ नए वैज्ञानिक गोदामों/ साइलों के निर्माण के लिए जिससे वे परक्राम्य वेयरहाउस रसीद जारी कर सकेंगे.

शीत भंडार गृह की स्थापना हेतु – कोल्ड चेन, लॉजिस्किक्स सुविधा, मिल्क कलेक्शन और चिलिंग केन्द्र, पैक हाउस, असेयिंग यूनिट्स आदि

कृषि सेवा केन्द्र : सदस्यों द्वारा किराए पर लेने/देने की आवश्यकता के अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी कृषि उपकरण, यथा – पवार टिलर, लैंड लेवेलर रोटरी स्लाइसर, मूवर्स, सीड ड्रिलर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, पैडी ट्रांस प्लांटर, स्प्रैयर, कम्बाइन हार्वेस्टर आदि की खरी.

कृषि प्रसंस्करण केन्द्र – प्राथमिक प्रसंस्करण – सॉर्टिंग, ग्रेडिंग यूनिट, वैक्सिंग/पॉलिशिंग यूनिट, प्री–कूलिंग चेंबर, ड्राइंग यार्ड, पैकिंग सुविधा, पॉल्ट्री ड्रेसिंग यूनिट्स आदि पर भी विचार किया जाएगा.

द्वितीयक संस्करण – उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए अर्थात मिनी राइस मिल, आटा चक्की, कृषि प्रसंस्करण सुविधा आदि.

कृषि सूचना केन्द्र – मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के पैनल से सेवा उपलब्ध कराना, ज्ञान प्रसार केन्द्र, किसानों को प्रशिक्षण देना, ये सेवाएँ किसानों को लागत पर दी जाएंगी.

कृषि यातायात और विपणन सुविधा – उत्पादों की अधिप्राप्ति, एकत्रीकरण और/या प्रसंस्करण के बाद प्रत्यक्ष मार्केट लिंकेज, ग्रामीण मार्ट की स्थापना, वे ब्रिज, शॉपिंग काम्पलेक्स, ई–मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित सप्लाई चेन, मार्केटिंग सुविधा, ट्रांसपोर्ट वाहनों की खरीद आदि. ऐसे पैक्स जो मार्केटिंग का कार्य कर रहे हों या इस क्षेत्र में आना चाहते हों, तो वे किसानों को मार्केटिंग में सहायता प्रदान करने हेतु इस चैनल का निर्माण कर सकते हैं.

उपभोक्ता स्टोर और अन्य विविध गतिविधियां – ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की उचित कीमत पर नियमित आपूर्ति करने की मांग होती रही है. पैक्स को इस कार्य हेतु सहायता दी जा सकती है, जहां वे एक ही स्थान पर कृषि उत्पादों/कृषि निविष्टियों के साथ–साथ सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद/विपणन का कार्य कर सकें, यदि पैक्स के पास आवश्यक लाइसेंस हो और वे निर्धारित नियम व शर्तो के अनुपालन के लिए तैयार हों, तो उन्हें एलपीजी एजेंसी या पेट्रोल पंप आउटलेट के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है.

संबंधित क्षेत्रों में उत्पादित पण्यों की वैल्यू चेन आवश्यकता को पूरा करने हेतु कोई अन्य पोस्ट– हार्वेस्ट प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर

शक्तियों का प्रत्यायोजन

पैक्स को एमएससी में परिवर्तित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की मंजूरी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, समिति अवधारणा अपनाएंगे।

सहबद्ध कार्य

नाबार्ड द्वारा पैक्स को ऋण सुविधा मंजूर किए जाने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो पैक्स इस परियोजना के तहत वित्तपोषित आस्तियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों हेतु ऋण घटक के 10 प्रतिशत तक अनुदान सहायता मांग सकता है.

- प्रौद्योगिकी सहायता
- प्रबंधकीय सहायता
- सदस्यों और पैक्स का क्षमता निर्माण
- ब्रांड संवर्धन और मार्केट संवर्धन

परियोजना घटकों से जरूरतों की स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर आवश्यकता आधार पर अनुदान मंजूर किया जा सकता है क्योंकि यह गतिविधि से जुड़ी ऋण के अलावा अन्य सहायता है. अतः प्रस्ताव में अनुदान प्राप्त करने के लिए संबंधित लागत के अलग–अलग ब्यौरों के साथ विस्तृत गतिविधियां और परियोजना पर अनुदान के संभावित प्रभाव का विवरण शामिल होना चाहिए. प्रौद्योगिकी अपनाने एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने इत्यादि के लिए सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ) से अनुदान सहायता प्रदान की जा सकती है. संबंधित अनुदान के बारे में समय–समय पर एफएसपीडी और आईडीडी द्वारा जारी किए गए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

पैक्स के लिए पात्रता मानदंड

इसके उप नियमों में बुनयादी सुविधाओं के सृजन के लिए उधार लेने की शक्ति और पर्याप्त उधार लेने की क्षमता होनी चालिए.

मार्जिन

यदि पैक्स सब्सिडी अथवा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत ब्याज सहायता के लिए पात्र है तो, पैक्स को न्यूनतम 10 प्रतिशत की मार्जिन अथवा भारत सरकार की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत यथा निर्धारित का मार्जिन का अंशदान करना होगा. तथापि, पैक्स की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए और उन्हें कृषि से संबंधित बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के लिए यथापेक्षित, राज्य सहकारी बैंक/जिमस बैंक मार्जिन मनी में छूट प्रदान करके इसे 5 प्रतिशत करने पर विचार कर सकते है.

प्रतिभूति

यह सामान्य पुनर्वित्त करार के अंतर्गत अभिशासित होगा. राज्य सहकारी बैंक उनकी आंतरिक नीति के अनुसार जिमस बैंक/पैक्स से प्रतिभूति प्राप्त करेंगे.

ब्याज दर

राज्य सहकारी बैंकों के लिए इस विशेष पुनर्वित्त सुविधा पर 3 प्रतिशत ब्याज दर होगी और पैक्स से प्रभारित की जाने वाली ब्याज की अंतिम दर नाबार्ड द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर से 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए. राज्य सहकारी बैंक और जिमस बैंक द्वारा शेयर की जाने वाली ब्याज की मार्जिन पारस्परिक तौर पर सहमत शर्तो पर निर्धारित और तय की जाएगी. समय–समय पर ब्याज की दर में परिवर्तन करने अधिकार नाबार्ड के पास सुरक्षित है.

चुकौती

आय सृजन और पैक्स द्वारा प्रस्तावित बुनियादी सुविधा के प्रकार के आधार पर 6–24 महीनों की छूट अवधि के साथ अधिकतम 7 वर्षो की अवधि के अंदर पुनर्वित्त की चुकौती की जाएगी. निर्धारित की जाने वाली वास्तविक चुकौती अवधि प्रक्षेपित नकदी प्रवाह, आस्ति की एकोनोमिक लाइफ और 1.50 के औसत डेट सर्विस कवरेज सर्विस अनुपात (डीसीएसआर) पर आधारित होगा.

अनुप्रवर्तन ओर समीक्षा

प्रमुख ऋण प्रदाता के रूप में जिमस बैंक डेस्क अनुप्रवर्तन और आवधिक क्षेत्र दौरा दोनों कार्य करेगा. जिला स्तर पर एक परियोजना अनुप्रवर्तन समिति (पीएमसी) गठित की जाएगी जिसमें नाबार्ड अधिमानतः इसके जिला विकास प्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक, जिमस बैंक, पैक्स और सहकरी समियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे. तिमाही आधार पर परियोजना का अनुप्रवर्तन किया जाएगा. एक अलग कार्यसूची के रूप में राज्य सहकारी बैंक भी जिमस बैंकों के साथ उनकी बैठकों में प्रगति की समीक्षा करें और मार्गदर्शन प्रदान करें तथा हो रही प्रगति का अनुप्रवर्तन करें. आस्तियों की जियो– आयडेनटि–फिकेशन तथा नैब परीक्षण ऐप आधारित प्रणाली भी शुरू की जा सकती है. नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जिमस बैंकों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेगा और सुधारात्मक उपाय तथा संदेश को प्रसारित करने के लिए उपयुक्त मंच पर अपने प्रेक्षणों को साझा करेगा. राज्य सहकारी बैंक और जिमस बैंक अनुप्रवर्तन तथा क्षेत्र दौरा रिपोर्टो के आधार पर अच्छा कार्य करने वाले एमएससी की प्रारम्भिक प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करेंगे.

योजनाबद्ध पुनर्वित्त के लिए लागू सभी अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी.

प्रदेश में संचालित होगा पोषण अभियान

दूसरे विभाग भी आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम बनाने में सहयोग करें – मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्चों और महिलाओं का कुपोषण दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में आंगनवाड़ी केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड–19 के दौर में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। दूसरे विभाग भी आंगनवाड़ी केन्द्रों को सक्षम बनाने में सहयोग करें। अधिकारी और मंत्रीगण भी जिलों में भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरस्त करने में सहयोग प्रदान करें। पोषण अभियान की कार्ययोजना बनाकर शत–प्रतिशत परिणाम प्राप्त किए जाएं। महिला और बाल विकास की योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को बेहतर बनाया जाए। जो कमियां दिखें उन्हें दूर किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विभिन्न व्यवस्थाएँ करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बढ़ाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रविवार को अस्पताल से वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा प्रदेश की आंगनवाड़ियों के संचालन की

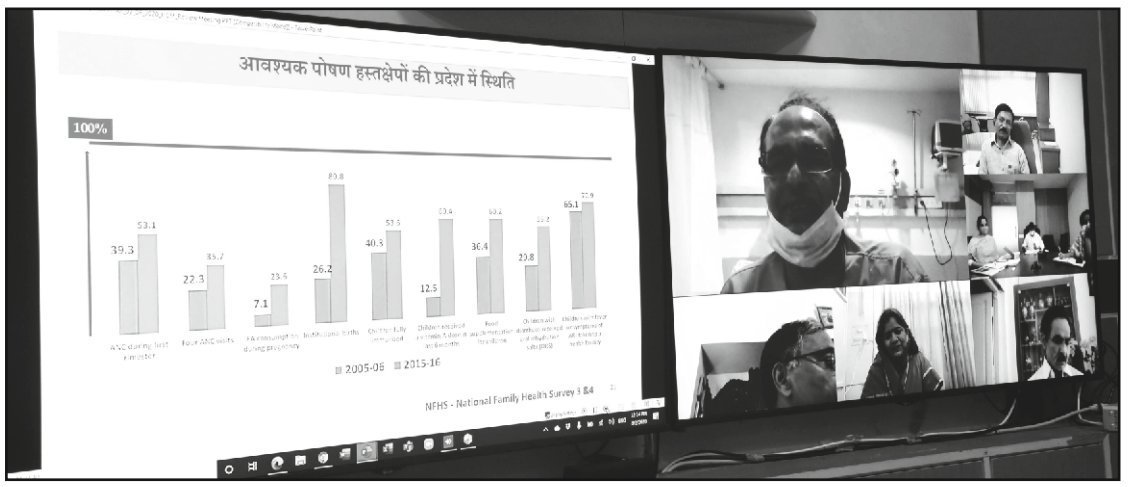

समीक्षा करते हुये ये निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक मूवमेंट और जन आंदोलन बनाकर कुपोषण का कलंक दूर करें। आगामी 15 अगस्त तक इसकी कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड–19 की परिस्थितियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को पोषण आहार देने का लक्ष्य पूर्ण करें। प्रदेश में शत–प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र के भवन निर्माण का लक्ष्य है। अब प्रदेश में कहीं भी, किसी घर में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं होंगे। इन्हें अपने भवन मिलेंगे। सामुदायिक भवन अथवा अन्य रिक्त शासकीय भवन में इसकी व्यवस्था की जाए। समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रीमती इमरती देवी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस,अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह उपस्थित थे।

रेडी टू ईट और टेक होम राशन की व्यवस्थाएँ पुख्ता हों

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चिरायु अस्पताल से वीसी द्वारा निर्देश दिए कि कोविड–19 के संक्रमण काल में 53 हजार 668 स्व–सहायता समूहों द्वारा तीन वर्ष से छह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार प्रदाय करने का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो। लोकल फॉर वोकल के क्रियान्वयन के अंतर्गत रेडी टू ईट की व्यवस्था की गई है। इसी प्रावधान के अनुसार सभी पात्र हितग्राहियों को प्रत्येक 15 दिवस के अंतराल से टेक होम राशन प्रदाय की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गंभीरता से अपना दायित्व पूरा करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बच्चों का वजन लेकर उनके पोषण स्तर की निगरानी और टीकाकरण भी नियत स्थानों पर छोटे–छोटे समूहों में किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों के निवास जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव का परामर्श भी प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संक्रमण काल में पलायन कर मध्यप्रदेश में आए परिवारों के पात्र हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार प्रदाय की जानकारी भी प्राप्त की।

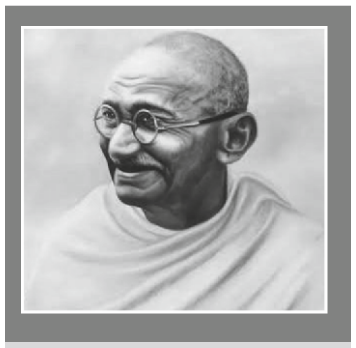

भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। मौन सबसे सशक्त भाषण है। धीरे–धीरे दुनिया आपको सुनेगी।

– महात्मा गांधी

डेयरी और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिये मिलेगा ऋण

केन्द्र शासन ने जारी किये दिशा–निर्देश

भोपाल। आत्मनिर्भर योजना के तहत डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्र स्थापित करने के लिये बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। न्यूनतम 10 से 25 प्रतिशत मार्जिन मनी हितग्राही को देनी होगी। शेष 90 से 75 प्रतिशत बैंक ऋण होगा। हितग्राही को 3 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन मिलेगा। किसान उत्पादक संगठन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, निजी कम्पनियाँ और व्यक्तिगत उद्यमी आदि योजना का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति सिडबी के पोर्टल ''उद्यमी मित्र'' पर आवेदन दे सकते हैं। केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा ''एनीमल हसबेण्डरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फण्ड'' के तहत राज्यों को दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री जे.एन.कंसोटिया ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण और मांस प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे घरेलू बाजार में गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस की उपलब्धता के साथ उत्पादकों को अच्छा बाजार मिलने से आय में वृद्धि होगी। योजना में पशुपालकों को पशुओं के लिये उच्चगुणवत्ता वाला पशु आहार भी उचित दामों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री कंसोटिया ने कहा कि केन्द्र शासन द्वारा 750 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी फण्ड की स्थापना की जायेगी, जिसका प्रबंधन नार्बाड करेगा। क्रेडिट गारंटी फण्ड केवल उन्हीं परियोजनाओं को दिया जायेगा जो व्यवहारी होंगी। पात्र हितग्राही को ऋण सुविधा का अधिकतम 25 प्रतिशत कव्हरेज मिलेगा। फण्ड की कुल राशि 15 हजार करोड़ का वितरण 3 वर्ष की अवधि में अनुसूचित बैंकों द्वारा किया जायेगा।

प्रसंस्करण स्थापित करने के इच्छुक हितग्राहियों को बैंक में आवेदन देने के पहले आवश्यक भूमि की व्यवस्था करनी होगी। परियोजना प्रस्ताव में दूध, मांस और पशु आहार के लिये गुणवत्ता प्रबंधन इकाई की स्थापना, पैंकेजिंग इकाई और उत्पाद के प्रचार का उल्लेख जरूरी होगा। आवश्यक होने पर हितग्राही सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) के ''उद्यमी मित्र'' पोर्टल पर उपलब्ध एजेंसियों से परामर्श भी ले सकेंगे। हितग्राही सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

हितग्राही तीन प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के लिये अनुसूचित बैंक परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग को ऑनलाइन भेजेंगे। केन्द्र शासन द्वारा गठित प्रोजेक्ट सेंक्शन और प्रोजेक्ट एप्रुवल कमेटी निर्धारित मापदंडों के अनुसार ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी की स्वीकृति देगी। 50 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव प्रोजेक्ट एप्रुवल कमेटी और 50 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव प्रोजेक्ट सेंक्शन कमेटी मंजूर करेगी।

शासकीय भूमियों के प्रबंधन की नीति बनाने के लिये मंत्रि-परिषद् समिति गठित

भोपाल। राज्य शासन द्वारा शासकीय भूमियों के प्रबंधन (राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत प्रावधानों एवं नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण इत्यादि) के संबंध में नीति बनाये जाने के लिये मंत्रि–परिषद समिति का गठन किया गया है।

समिति में वन विभाग मंत्री श्री विजय सिंह, वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवडा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व, परिवहन विभाग मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा विभाग मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्य, लघु एवं मद्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा और सहकारिता, लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव राजस्व समिति के सचिव होंगे।

3 लाख 45 हजार से अधिक पथ-विक्रेताओं को प्रमाण-पत्र जारी

भोपाल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्म–निर्भर निधि (पीएम स्व–निधि) योजना में कुल 8 लाख 7 हजार 330 पथ–विक्रेताओं ने पंजीयन करवाया है। इनमें से 4 लाख 88 हजार आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। इनमें से 3 लाख 76 हजार 604 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। अभी तक 3 लाख 45 हजार 995 आवेदकों को परिचय–पत्र तथा वेण्डर प्रमाण–पत्र जारी किये जा चुके हैं।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि इस योजना में ऋण स्वीकृति में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस स्थिति को आगे भी बरकरार रखें।

योजना में नाई, बाँस की डलिया, कबाड़ीवाला, लोहार, पनवाड़ी, मोची, चाय की दुकान, सब्जी–भाजी, फूल विक्रेता, वस्त्र विक्रेता, हाथकरघा, आईसक्रीम पार्लर सहित 35 व्यवसायों को शामिल किया गया है। पथ–विक्रेताओं को 10 हजार रुपये का ब्याजमुक्त लोन दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा पथ–विक्रेताओं को बैंकों से अनुबंध के लिये मात्र 50 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी तय की गयी है।

नागरिकों को इलाज के लिये प्रदेश के बाहर न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था आवश्यक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा प्रदेश में कोविड–19 की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा

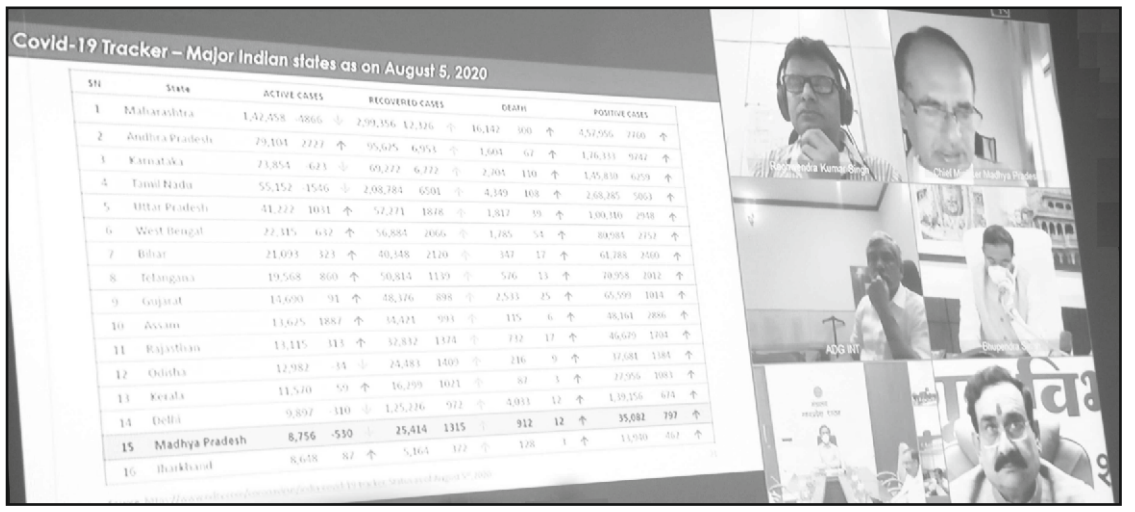

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को इलाज के लिए प्रदेश के बाहर न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है। स्वास्थ्य के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध चिकित्सालयों की स्थिति में सुधार के लिए अभियान चलाया जाएगा। अस्पतालों में मानव संसाधन तथा तकनीकी संसाधनों की कमी को दूर कर इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है कि प्रदेश के लोगों को संपूर्ण उपचार प्रदेश में ही मिल सके। इसके लिए विभागीय कैडर में आवश्यक सुधार सहित अन्य कमियों को भी समय–सीमा में दूर किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यालयों तथा संस्थाओं में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यहां एक व्यक्ति में संक्रमण होने से कई व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यालयों में कोरोना से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों– कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। श्री चौहान ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान आरंभ करने की आवश्यकता भी बतायी। श्री चौहान ने प्रदेश के ग्रामीण बाजारों में आरंभ किए गए जागरूकता अभियान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा कोविड–19 की प्रदेश में स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे।

हर एक प्रकरण एक चुनौती

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण का बढ़ता हर एक प्रकरण खतरे की घंटी और चुनौती है। इसके प्रति पूरी सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। निजी अस्पतालों को भी यह निर्देश दिए जाएं कि उनके यहां आने वाले मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें तत्काल कोविड केयर सेंटर अथवा उपयुक्त डेडीकेटेड सेंटर में रैफर किया जाए। प्रदेश में रेपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।

होम आयसोलेशन को प्रोत्साहित किया जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आईसीएमआर की अद्यतन गाईड लाइन का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में होम आयसोलेशन तथा क्वारेंटाइन को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे व्यक्तियों की प्रभावी मॉनीटरिंग एप तथा अन्य माध्यमों से सुनिश्चित की जाए।

रीवा तथा झाबुआ की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा तथा झाबुआ की स्थिति की समीक्षा के दौरान टेस्टिंग तथा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही झाबुआ से बाहर यात्रा की अनुमति दी जाए। मंत्री डॉ. चौधरी ने रीवा में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता भी बतायी।

रिकवरी रेट में हुआ सुधार

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश के रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। वर्तमान में यह 72.9 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्तमान में 8 हजार 741 एक्टिव केस हैं तथा अब तक 26 हजार 64 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वीडियो कान्फ्रेंस में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

मध्यप्रदेश में फिर से लागू होगी भामाशाह योजना

राजस्व बढ़ाना आवश्यक, मंत्री अधिकारियों के साथ करें समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजस्व प्राप्तियाँ आवश्यक हैं। इनमें वृद्धि होना चाहिए। राजस्व प्राप्तियों की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों से प्रति सप्ताह समीक्षा करें। आज एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजस्व प्राप्तियों की जानकारी प्राप्त की। कोविड–19 के हालातों में अर्थव्यवस्था दुरस्त करने के उद्देश्य से विभिन्न मदों में राजस्व बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने की भामाशाह योजना पुनः प्रारंभ की जाए। ईमानदारी से कर चुकाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। गत वर्ष इस योजना पर ध्यान न दिए जाने से अनेक करदाता निरुत्साहित हो गए हैं। ज्यादा टैक्स जमा करने वालों का सम्मान होने से टैक्स जमा करने के लिए सभी वर्ग प्रेरित होते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इसी वर्ष से इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों के संबंध में समीक्षा के लिए एक पखवाड़े के बाद पुनरू बैठक होगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समीक्षा बैठक में वाणिज्यिक कर, आबकारी, वन, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, स्टांप एवं पंजीयन आदि विभागों से संबंधित करों की प्राप्ति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कर अपवंचन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण के पूरे प्रयास हर स्थिति में हों। प्रयास यह हो कि गत वर्ष की स्थिति में तो आ ही जाएं। यदि राजस्व संग्रहण से जुड़े शासकीय विभागों के मुख्यालय और फील्ड के किसी भी दफ्तर में कोरोना पॉजिटिव रोगी पाया जाता है तो इस स्थिति में पूरा कार्यालय बंद करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन कार्यालय बन्द कर आवश्यक सेनेटाईजेशन और अन्य प्रोटोकाल के पालन के साथ राजस्व संग्रहण की गतिविधियाँ जारी रखी जाएं। कार्यालय पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले कुछ माह कोरोना के साथ ही जीना है। आर्थिक गतिविधियों को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। पुरानी रिकवरी करते हुए अनियमित्ताओं पर नियंत्रण के प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान योजना, कर अपवंचन प्रवर्तियों के रोकने के प्रयासों, वेट/स्टेट जीएसटी की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। निर्देश दिए कि गड़बड़ियाँ रोकने की कार्रवाई करते हुए और बेहतर वसूली की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आबकारी आय की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी डिस्टलरीज से अवैध रूप से शराब कहीं न जाए। इसे रोकने के लिए तकनीक आधारित पद्धति विकसित की जाए। इससे आय वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौण खनिजों से संबंधित अनियमितताओं की खबरें मिलती हैं।

बंजर पहाड़ियों पर आकार लेने लगा है जंगल

पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने रोपा त्रिवेणी (बरगद, पीपल, नीम)

भोपाल। पशुपालन और सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी के साथ रेवाकुंज पहाड़ी पर त्रिवेणी पौधा रोपा। पहाड़ी को हरा–भरा करने की निरंतर कोशिश में बड़वानी कलेक्टर के साथ स्थानीय युवा, शासकीय कर्मचारी–अधिकारी और व्यापारी आदि भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधों की देखभाल और संरक्षण कर रहे हैं। पहाड़ी के निचले भाग में लगभग 5 हजार नीम के पौधे आकार ले चुके हैं। श्री पटेल ने कहा कि क्षेत्र को हरा–भरा बनाने के लिये हरसंभव मदद की जायेगी।

बड़वानी जिले की बंजर पहाड़ियों पर नीचे नीम लगाने के बाद अब त्रिवेणी (बरगद, पीपल और नीम एक साथ) रोपी जा रही है। वन विभाग तकनीकी सहयोग, कृषि विभाग द्वारा खाद, उद्यानिकी द्वारा ड्रिप इरीगेशन, आम लोगों द्वारा संरक्षण और सहयोग से यहाँ बंजर भूमि में सुखद परिवर्तन आ रहा है। बंजर सरस्वती पहाड़ी पर नीम, करंज, आँवला, बरगद, पीपल आदि के पौधे अब 10–10 फीट के हो चले हैं। विकसित जंगल आने वाली पीढ़ी को पर्यावरणीय संतुलन के साथ पानी की समस्या का भी समाधान करेगा। इस क्षेत्र की पहाड़ियों पर लगभग 15 हजार पौधे रोपे जा चुके हैं। रविवार 9 अगस्त को ग्रामवासियों के सहयोग से लोनसरा की पहाड़ी पर लगभग एक हजार पौधे रोपे जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य द्वारा नीम की बहुतायत होने के कारण निमाड़ नाम प्राप्त क्षेत्र को पुनरू खोया गौरव लौटाने के लिये यह मुहिम शुरू की गई थी। यह मुहिम आज रंग लाने लगी है। श्री आर्य ने क्षेत्र के गाँव–गाँव में बालों और बिना बालों वाले सिर पर पानी डालकर ग्रामीणों को पानी रोकने में वृक्षों की महत्ता समझाई थी। उन्होंने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से बात करने के साथ ही सभी सांसद, विधायक और जन–प्रतिनिधियों से भी इस मुहिम से जुड़ने की अपील की थी।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं

आत्ममंथन से निकले अमृत को जनता तक पहुंचाएंगे – मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में सुशासन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। मध्यप्रदेश भी सुशासन एवं आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए कृत–संकल्पित है तथा इसके लिए प्रदेश में तेज गति से कार्य हो रहा है। विषय विशेषज्ञों के साथ वेबिनार के आयोजन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योजनाएं बनाकर, उन्हें प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करना है। वेबिनार में मंथन के उपरांत निकले अमृत को जनता तक पहुंचाने में मध्यप्रदेश में तत्परता के साथ कार्य होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत सुशासन विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

वेबिनार में श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि मध्यप्रदेश ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के कुशल नेतृत्व में सुशासन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मध्यप्रदेश में लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम को अन्य राज्यों ने भी लागू किया है। यह सुशासन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में कृषि एवं रोजगार वृद्धि के संबंध में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश द्वारा चालू किया गया श्रोजगार सेतुश पोर्टल बहुत प्रभावी है।

सुशासन के समक्ष 4 प्रमुख चुनौतियां

श्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने सुशासन की प्रमुख चुनौतियों एवं समाधानों के विषय में कहा कि सुशासन के समक्ष चार प्रमुख चुनौतियां, उद्देश्यपूर्णता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, स्वामित्व भाव का अभाव तथा आपसी संबंधों का अभाव है। यदि इन्हें दूर कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हम देश एवं प्रदेश में सुशासन ला सकते हैं। उन्होंने समय–समय पर शासकीय नियमों एवं कानूनों के पुनरावलोकन तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी जोर दिया।

परिपूर्ण जीवनशैली एवं सकारात्मकता बढ़ाने में आनंद संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शासकीय अमले एवं जनसामान्य में परिपूर्ण जीवनशैली एवं सकारात्मकता बढ़ाने में राज्य आनंद संस्थान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे शासकीय अमले की कार्यशैली में बदलाव आया है और वह रोते–गाते कार्य करने के स्थान पर, केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने नीति आयोग के साथियों से अनुरोध किया कि वे इस बदलाव का आकलन करें।

सुझावों को शीघ्र योजनाओं और नीतियों में परिवर्तित करें

मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वैबीनार में प्राप्त विषय विशेषज्ञों के सुझावों को प्रदेश में शीघ्र योजनाओं और नीतियों में परिवर्तित कर इनका लाभ जनता को दिया जाएगा।

सुशासन पर आयोजित वैबीनार के समापन सत्र में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार सहित विषय–विशेषज्ञ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव गृह, जेल एवं परिवहन विभाग श्री एस.एन. मिश्रा ने विभिन्न उप समूहों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों पर प्रस्तुतीकरण दिया।

जन्म और मृत्यु के बीच में एक छोटा सा अंतराल है. इसलिए इस अंतराल में खुश रहिये और दूसरों को खुश करिए. जीवन के हर पल का आनंद लीजिये।

– दीदी शिवानी

विषय–विशेषज्ञों के प्रमुख सुझाव

- राज्य शासन ''ईज ऑफ लाईफ'' की अवधारणा का क्रियान्वयन करें।
- जनसामान्य को मूलभूत सुविधाएं घर बैठे मिल सकें, इसके लिए डिजीटल सुविधा का विस्तार किया जाए।
- फेसलैस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति की शासकीय कार्यालयों में भौतिक उपस्थिति के बिना ही उसके कार्य हो सकें।
- विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिभावान युवाओं को शासकीय व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कार्य हो।
- शासन के सभी विभागों की जानकारियों को ''सिंगल डाटाबेस'' पर उपलब्ध कराया जाए।
- ई–ऑफिस व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए।
- प्रदेश में ''आऊटसोर्सिंग कार्पोरेशन'' बनाया जाए, जो सभी विभागों के लिए आऊटसोर्सिंग का काम करें।
- ''वर्क फ्रॉम होम'' को बढ़ावा दिया जाए।
- जिला स्तर पर सभी विभाग ''डेशबोर्ड'' विकसित करें, जिससे कलेक्टर द्वारा ऑनलाइन मॉनीटरिंग हो सके।
- सी.एम. हेल्पलाईन को विस्तार देकर ''सी.एम. सिटीजन केयर पोर्टल'' प्रारंभ किया जाए।
- राजस्व, कृषि, सिंचाई आदि में ड्रोन तकनीक का उपयोग।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का परीक्षण ''आउट कम इंडीकेटर'' के आधार पर किया जाए।
- कर्मचारियों के कार्य के आंकलन के लिए ''परफार्मेंस इंडीकेटर'' तय किये जाएं।
- शासकीय गतिविधियों की नागरिक केन्द्रित मॉनीटरिंग की व्यवस्था।

सभी पात्र आदिवासी हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा दिया जाये

आदिम–जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह द्वारा निरस्त वनाधिकार पट्टों की समीक्षा

भोपाल। आदिम–जाति एवं अनुसूचित–जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वनाधिकार अधिनियम में निरस्त पट्टों की पुनरू समीक्षा की जाये और आदिवासियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाये। कमेटी के सदस्यों के ऐसे प्रयास हो कि कोई भी पात्र हितग्राही वनाधिकार पट्टे से वंचित न रहे। आदिम–जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह शहडोल में वनाधिकार अधिनियम से संबंधित बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में विधायक श्री जयसिंह मरावी, श्रीमती मनीषा सिंह और श्री शरद कोल भी मौजूद थे।

मंत्री सुश्री मीना सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि महुआ संग्रहण में आदिवासियों पर किसी भी प्रकार की पाबंदी न लगाई जाये। उन्होंने वनाधिकार दावों के निरस्तीकरण की जानकारी संबंधित क्षेत्र के विधायकों को दिये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि यदि वनग्राम के 70 से 80 वर्ष के 2 बुजुर्ग किसी आदिवासी के काबिज रहने की गवाही देते हैं, तो उसे मान्य किया जाये। शहडोल कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में वनाधिकार अधिनियम में निरस्त पट्टों की पुनरू समीक्षा का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को निर्देशित किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों में वनाधिकार पट्टे निरस्त हुए हैं, वहाँ के संबंधित वन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल मुआयना करें। बैठक में बताया गया कि जिले में 6 हजार 705 वनाधिकार अधिनियम से संबंधित पट्टे निरस्त हुए हैं। निरस्त दावों की जिला–स्तरीय समिति द्वारा पुनरू समीक्षा की जा रही है।

स्कूल यूनिफार्म स्व–सहायता समूह के माध्यम से तैयार करायें

आदिम–जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली यूनिफार्म स्व–सहायता समूह के माध्यम से तैयार की जाये। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि आदिवासी छात्रावास एवं आश्रम में लम्बे समय से कार्यरत अधीक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर 5 किलोमीटर परिधि के स्कूलों के अनुसूचित–जाति एवं जनजाति शिक्षकों को अधीक्षक बनाया जाये। आदिम–जाति कल्याण मंत्री ने बैठक में विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की।

विषय विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर बनेगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप

बफर में सफर, नर्मदा पथ टूरिज्म, एयर कार्गो, फ्यूचरस्टिक इन्डस्ट्रीज एवं टाइगर रिजर्व आदि महत्वपूर्ण सुझावों पर अमल होगा – मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए सभी का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। देश के यशस्वी एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का मध्यप्रदेश ने बीड़ा उठाया है तथा इसके लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। रोडमैप निर्माण में विषय विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए वेबीनार आयोजित किए। प्राप्त सुझावों के आधार पर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की कार्ययोजना तैयार कर उस पर त्वरित गति से अमल किया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का हमने 3 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वेबीनार में श्री सुरेश प्रभु, नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत व अन्य विशेषज्ञों के द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए दिए गए म.प्र. में नेशनल लॉजिस्टिक हब, बफर में सफर, श्नर्मदा टूरिज्म, एयर कार्गो, फ्यूचरस्टिक इंडस्ट्री, टाइगर रिजर्व एडॉप्टेशन, रॉउण्ड टेबल कॉन्फ्रेंस आदि सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इन पर तत्परता से अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान वेबीनार के माध्यम से आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के भौतिक अधोसंरचना के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। वेबीनार में सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि कोरोना संकट में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इससे उबरने के लिए आत्मनिर्भरता के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को मूर्त रूप देने की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में पहल की है, तथा विषय विशेषज्ञों की राय से इसका रोडपमैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भारत का हृदय स्थल है। यहां से शुरूआत होगी तो पूरे देश में यह सफल रहेगा।

मध्यप्रदेश को ग्लोबल वैल्यू चैन एवं ग्लोबल सप्लाई चैन से जोड़ना होगा

श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए प्रदेश को ''ग्लोबल वैल्यू चेन'' एवं श्ग्लोबल सप्लाई चेनश से जोड़ना होगा। मध्यप्रदेश में ''एयर कार्गो'' सेवाओं का विस्तार करना होगा। मध्यप्रदेश को नेशनल लॉजिस्टिक हब बनाने की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसके आंतरिक व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश के कृषि उद्योगों को विदेश में बाजार उपलब्ध कराना होगा। मध्यप्रदेश के बासमती चावल सहित जिलावार वहां की विशेष वस्तुओं की जी.आई. टैगिंग करानी होगी।

मध्यप्रदेश में आएं विश्व की फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज

श्री प्रभु ने कहा कि मध्यप्रदेश को प्रयास करने होंगे कि यहां विश्व की ''फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज'' आएं। मध्यप्रदेश में टूरिज्म एवं टाइगर सफारी को बढ़ावा देना होगा। प्रदेश के टाइगर रिजर्व को एडॉप्ट करना यहां के टूरिज्म को बढ़ावा देने में सहायक होगा। प्रदेश में जिलेवार विकास का मॉडल बनाना होगा तथा वहां की विशेषताओं के क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा। हर जिले में रोजगार के अवसर एवं संसाधनों का विकास कर हर जिले को आत्मनिर्भर बनाना होगा।

वेबीनार के समापन सत्र में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाहा, सीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड के एम.डी. श्री जे. सतीश कुमार राव, विषय विशेषज्ञ श्री चेतन्य वैद्य तथा श्री हितेन्द्र मेहता आदि ने भाग लिया। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने सभी सहभागियों का आभार माना। वेबीनार में भौतिक अंधोसंरचना समूह के टीम लीडर अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी ने जल, पर्यटन, ऊर्जा, सड़क, नगरीय अधोसंरचना और परिवहन तथा लॉजिस्टिक पर गठित उप समूहों के सुझावों और रोडमैप के बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया।

किसानों को उर्वरक की कमी नहीं आने दी जाए : मंत्री श्री पटेल

हरदा के गृह ग्राम वारंगा से कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बोनी की समीक्षा

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने गृह ग्राम वारंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे प्रदेश के कृषि उप संचालकों से बोनी की स्थिति पर चर्चा की। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों को किसी कीमत पर भी उर्वरक की कमी नहीं आने दी जाए। उन्होंने संचालक कृषि श्री संजीव सिंह को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने सभी कृषि उप संचालकों को निर्देशित किया कि खाद बीज और उर्वरक की गुणवत्ता को जांचने के लिए निरंतर कार्यवाही की जाए। प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण कराया जाए और जो दोषी हैं उन्हें दंडित करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। श्री पटेल ने कहा कि किसानों को उत्तम गुणवत्ता का खाद बीज मिलना ही चाहिए। इसमें दुकानदारों की गड़बड़ी, कालाबाजारी अवैध भंडारण इत्यादि पाई जाती हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

ग्रामोद्योग से होगा स्वदेशी आन्दोलन का सपना साकार : ग्रामोद्योग मंत्री श्री मार्गव

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योश मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से ही स्वदेशी आन्दोलन का सपना साकार होगा। उन्होंने यह बात राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वल्लभ भवन तीन में हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा संचालित मृगनयनी शो–रूम के आऊटलेट के लोकार्पण अवसर पर कही।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश के हाथकरघा वस्त्रों की समस्त देश में अलग पहचान है। हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट श्रेणी के उत्पादों को बुनने में सिद्धहस्त है। चंदेरी, महेश्वर, सौंसर की भी विशिष्ट पहचान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बुनकरों के कौशल की तारीफ करते हैं तथा देश के निवासियों से अधिकाधिक स्वदेशी बुनकरों के उत्पादों का उपयोग करने का आहवान भी कर चुके हैं। श्री भार्गव ने राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस पर प्रदेश के समस्त हाथकरघा बुनरों को शुभकामनाएं दी।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।